3/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र का सुना गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली व आदेश (मालिका) का अवलोकन किया कि 5.7.16 को आदेश पारित है जिसमें उभय पक्ष की सहमति से स्थायी आदेश किया गया था कि "मध्यस्थकार ~~[illegible]~~ के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। दोनों आदेश एक दान-पत्र अवैध करार है जिस पर मान्ती की आपत्ति है। इसका रिकॉर्ड में अमल कराया होने या रिकॉर्ड में परिवर्तन करना मान्ती द्वारा कोई साबित पेश नहीं किया है लिहाजा अवमानना नासाबित हुई। पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बंद के काबिल है, दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner